न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः— श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

निर्णय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 22/2019

बउनवानः—

शिवराज सिंह पुत्र नृसिंह जाति राजपूत निवासी मूण्डला तहसील मांगरोल

....प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

वकील प्रार्थीः— श्री बुद्धि प्रकाश मालव

दायरा दिनांकः 13-2-19

निर्णय दिनांक : 13.02.2019

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के अधिवक्ता श्री बुद्धि प्रकाश मालव ने जर्ये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत इस आशय का प्राप्त हुआ है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 211 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा कोड्या हाली वाके माल ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां जो प्रार्थी के पिता नृसिंह के नाम बतौर खातेदार दर्ज है। उक्त आराजी में दायी मुख्य नहर में 2 बीघा 12 बिस्वा आराजी सिचांई विभाग के खाते दर्ज हुई एवं 10 बिस्वा आराजी पर प्रार्थी काश्त कर रहा है एवं वर्तमान में भी काबिज काश्त है जो वर्तमान में प्रार्थी के खाते की आराजी खसरा नं0 226 रकबा 1.28 है0 जो कि नये नंबर है। जिनका पुराना नंबर 210 है पुराना नंबर 210 की प्रार्थी के 8 बीघा आराजी आवंटित हुई थी जिसका वर्तमान खसरा नं0 226 रकबा 1.28 है0 है। दौराने सेटलमेंट खसरा नं0 211 की शेष बची आराजी 10 बिस्वा के दौराने सेटलमेंट नये नंबर कायम नही किये और न ही सिचाई विभाग के खाते में दर्ज की गई है। राजस्व रेकार्ड में कही इन्द्राज नही हुआ है जबकि मौके पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है और वर्तमान में भी काश्त करता चला आ रहा है जिसको प्रार्थी अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है उक्त गलती भू—राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि की वजह से हुई है जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नं0 210 रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा में से प्रार्थी के 8 बीघा आराजी आवंटन हुई थी। पुराने नंबर 210 के नये खसरा नं0 226 बनाये गये। प्रार्थी की आवंटन आराजी का वर्तमान खसरा नं0 226/376 रकबा 1.28 है0 है। व खसरा नं0 226 की 0.46 है0 आराजी सिवायचक दर्ज है जिस पर प्रार्थी का कब्जा है व प्रार्थी ही काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी सेटलमेंट पूर्व खसरा नं0 211 रकबा 10 बिस्वा जिसको की प्रार्थी

उनके खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। इसकी पूर्ति प्रार्थी को खसरा नं0 226 में से की जा सकती है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 211 रकबा 10 बिस्वा आराजी की पूर्ति खसरा नं0 226 में से किया जाकर प्रार्थी के खाते दर्ज किया जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत होने पर प्रकरण अन्तर्गत भू0 राज0 अधि0 1956 की धारा 136 के तहत दिनांक 13-2-19 को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) पैरोकार राजस्थान सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) पैरोकार सरकार ने दिनांक 13.02.2019 को उपस्थित होकर तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकन किया कि सम्वत 2015–2018 ग्राम मूण्डला की जमाबंदी में साबिक खसरा नं0 211 रकबा 3 बीघा 2 बिसवा आराजी प्रार्थी के पिता नृसिंह पुत्र रामप्रताप जाति राजपूत निवासी मूण्डला के खाते दर्ज थी खसरा नं0 211 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा आराजी में से 2 बीघा 2 बिस्वा आराजी नहर में चली गयी। जो कि सिचांई विभाग के खाते दर्ज है। व खसरा नं0 211 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा आराजी में से 10 बिस्वा आराजी जो शेष बची खसरा नं0 211 रकबा 10 बिस्वा सम्वत 2020–2023 की जमाबंदी में प्रार्थी के पिता नृसिंह पुत्र प्रतापसिंह राजपूत के खाते दर्ज है लेकिन दौराने सेटलमेंट खसरा नं0 211 रकबा 10 बिस्वा जो सेटलमेंट विभाग द्वारा उसके नये नम्बर दौराने सेटलमेंट कायम नही किये गये जबकि सम्वत 2020–2023 की जमाबंदी में उक्त आराजी नृसिंह पुत्र प्रतापसिंह के खाते दर्ज है जब कि सेटलमेंट विभाग द्वारा खसरा नं0 211 रकबा 10 बिस्वा के नये नम्बर कायम करने चाहिए थें। सेटलमेंट विभाग द्वारा साबिक खसरा नं0 211 रकबा 10 बिस्वा सेटलमेंट के दौरान खसरा नं0 226 रकबा 1.74 है0 में शामिल कर दिया गया है। वर्तमान में खसरा नं0 226/376 रकबा 1.28 है0 आवंटन होने से स्वयं प्रार्थी के खाते दर्ज है। तथा खसरा नं0 226 का शेष रकबा 0.46 है0 सिवायचक दर्ज है। अतः साबिक खसरा नं0 211 रकबा 10 बिस्वा की कमी पूर्ति सिवायचक खसरा नं0 226 रकबा 0.46 है0 में से 0.08 है0 प्रार्थी शिवराज सिंह पुत्र नृसिंह जाति राजपूत सा0 मूण्डला के खाते दर्ज की जा सकती है।

हमारे द्वारा पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। दिनांक 13.02.2019 को बहस उभय पक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया है जिनका प्रार्थना पत्र में अंकन किया गया है। तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया है जिसका उनके द्वारा अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकन किया गया है। पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात, सुनी गयी उभय पक्षीय बहस व तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी शिवराज सिंह पुत्र नृसिंह जाति राजपूत निवासी मूण्डला की दौराने सेटलमेंट हुयी कमी रकबे 10 बिस्वा की पुर्ति **ग्राम मूण्डला की सिवायचक आराजी खसरा नं0 226 रकबा 0.46 है0 में से रकबा 0.08 है0 कम कर, रकबा 0.08 है0 को प्रार्थी शिवराज**

...ह पुत्र नृसिंह जाति राजपूत के खाते दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल राजस्व रेकार्ड में अंकन कर पालना से अन्दर 15 योम में अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर शुमार से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2019 को सरेइजलास मजमेंआम में सु